



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50]
No. 50]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 6, 1997/माघ 17, 1918
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 6, 1997/MAGHA 17, 1918

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
(सड़क पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1997

सा. का. नि. 62 (अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार किसी व्यक्ति द्वारा किसी राष्ट्रीय राजमार्ग खंड/राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित स्थायी पुलों/अस्थायी पुलों के उपयोग के लिए शुल्क वसूल करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम :—(i) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय राजमार्ग (किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खंड/राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित स्थायी पुलों/अस्थायी पुलों के उपयोग के लिए शुल्क वसूल करना) नियम, 1997 होगा।

(ii) यह नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा :—इन नियमों में जब तक संदर्भानुसार अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "यांत्रिक वाहन" का अभिप्राय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (28) में यथा परिभाषित किसी मोटरयान सहित अपनी शक्ति से चलने के लिए बनाए गए किसी भाराक्रांत अथवा अभाराक्रांत यान से है।

(ख) "राष्ट्रीय राजमार्ग खंड/स्थायी पुल/अस्थायी पुल" का अभिप्राय राष्ट्रीय राजमार्ग की किसी ऐसी लंबाई/राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्मित ऐसे स्थायी पुल/अस्थायी पुल से है जिसे केन्द्र सरकार और किसी व्यक्ति के बीच कोई करार करके विकास/अनुरक्षण के लिए सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

3. करार और शुल्क दर :—(1) केन्द्र सरकार किसी समस्त राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा उसके किसी खंड/राष्ट्रीय मार्ग पर निर्मित स्थायी पुल/अस्थायी पुल के विकास और अनुरक्षण के संबंध में किसी व्यक्ति के साथ करार कर सकती है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय राजमार्गों के किसी खंड/स्थायी पुल/अस्थायी पुल के विकास/अनुरक्षण करने के लिए अपनी निधियों का निवेश करने और करार तथा इन नियमों की शर्तों के अधीन इस प्रकार सृजित सुविधाओं के उपयोग के लिए किसी सम्मत अवधि हेतु विभिन्न श्रेणियों के यांत्रिक यानों से सम्मत दरों पर शुल्क वसूल करने और उसे रखने की अनुमति दी जा सकती है।

(2) शुल्कों की दरों और वसूली की अवधि का निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे किसी समस्त खंड अथवा उसके किसी भाग के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में हुए खर्च, निवेशित पूंजी पर ब्याज, उचित लाभ, यातायात की मात्रा और ऐसे करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा

सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) करार के अनुसार उस व्यक्ति द्वारा शुल्क वसूल करने की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् राजमार्ग खंड/राजमार्ग पर निर्मित स्थायी/अस्थायी पुल से संबंधित सभी अधिकार केन्द्र सरकार द्वारा अभिगृहीत समझे जाएंगे और सरकार समय-समय पर यथा अधिसूचित शुल्क वसूलती रहेगी।

4. **शुल्क वसूली की रूप-रेखाएँ** :—(1) शुल्क वसूली की पद्धति का निर्णय नियम 3 के उपनियम (1) में उल्लिखित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी खंड/राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्मित स्थायी पुल/अस्थायी पुल पर वसूली के लिए प्राधिकृत शुल्कों की एक तालिका वे व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित की जाएगी।

5. **शुल्क वसूली प्रभारी** :—(1) इन नियमों के अंतर्गत शुल्क वसूल करने और अपने पास रखने के लिए अधिकृत व्यक्ति एक अधिकारी को शुल्क वसूली प्रभारी के रूप में नियुक्त करेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि सहमत दरों से अधिक शुल्क वसूल न किए जाएं तथा शुल्क वसूली सड़क प्रयोक्ताओं के लिए कोई अनुचित परेशानी पैदा किए बगैर निर्बाध रूप से हो तथा वह राष्ट्रीय राजमार्ग खंड/स्थायी पुल/अस्थायी पुल पर शुल्क वसूली से संबंधित अन्य सभी मामलों के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) शुल्क वसूली प्रभारी का नाम, पता और दूरभाष संख्या यदि कोई हो, उचित और सुस्पष्ट स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

6. **शुल्क वसूली का सत्यापन** :—(1) नियम 3 के उपनियम (1) में उल्लिखित व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सख्ती से यह निश्चित करे कि लगाया जाने वाला सभी शुल्क लगाया ही जाता है, पूर्णतः वसूला जाता है और ठीक तरह से रखा जाता है। वह व्यक्ति नियम 3 के उपनियम 2 के तहत शुल्क वसूली संबंधी अधिसूचना के अंतर्गत यथा अपेक्षित विनिर्दिष्ट समयांतरालों पर शुल्क वसूली विवरण की प्रमाणित और संपरीक्षित तैयारी प्रस्तुत करेगा। लेखा परीक्षा की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी।

(2) केन्द्र सरकार का यह अधिकार होगा कि वह अपने नामित अधिकारियों के माध्यम से कभी-कभी अथवा सदैव शुल्क वसूली की जांच कर सकेगी।

7. **वह व्यक्ति जिसके पास यातायात नियमन के अधिकार होंगे** :—नियम 3 के उपनियम (1) में उल्लिखित व्यक्ति के पास राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे खंड/राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल पर यातायात के नियमन और नियंत्रण के अधिकार होंगे जिसके संबंध में उसे उसके उचित प्रबंधन लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय VIII में दिए गए प्रावधानों के अनुसार इन नियमों के तहत शुल्क वसूल करने के लिए अधिकृत किया गया है।

[फा. सं. आर डब्ल्यू/एन एच-11012/1/95-डी ओ-1]

ए. डी. नारायण, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Roads Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 1997

G.S.R. 62(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 read with section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules for collection of fees by any person for the use of section, of any National Highway/permanent bridges/temporary bridges on National Highways, namely :—

1. **Short title** :—(i) These rules may be called the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of section of National Highways/permanent bridge/temporary bridge on National Highway) Rules, 1997.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition** :—In these rules, unless the context otherwise require,—

(a) 'mechanical vehicle' means any laden or unladen vehicle designed to be driven under its own power, including a motor vehicle, as defined in clause (28) of section 2 of the Motor Vehicles Act of 1988 (59 of 1988).

(b) 'section of National Highway/permanent bridge/temporary bridge' means that length of National Highway/permanent bridge/temporary bridge on National Highway notified by the Central Government in Official Gazette for the development/maintenance of which an agreement has been entered into between the Central Government and any person.

3. **Agreement and rate of fee** :—(1) The Central Government may enter into an agreement with any person in relation to the development and maintenance of the whole or any part of a National Highway/permanent bridge/temporary bridge on National Highway as it may decide, whereby the person may be permitted to invest his own funds for the development/

maintenance of a section of National Highway/permanent bridge/temporary bridge and to collect and retain the fees at agreed rates from different categories of mechanical vehicles for an agreed period for the use of the facilities thus created, subject to the terms and conditions of the agreement and these Rules.

(2) The rates of fees and the period of collection shall be decided and shall be specified by notification in the Official Gazette by the Central Government having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the whole or part of such section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of such agreement.

(3) On completion of the period of collection of fees by the person, as per the agreement, all rights pertaining to the section/permanent bridge/temporary bridge on National Highway shall be deemed to have been taken over by the Central Government and that Government shall continue with the collection of fees as notified from time to time.

4. Modalities of fee collection.—(1) The mode of fee collection shall be decided by the person referred to in sub-rule (1) of rule 3.

(2) A Table of fees authorised to be collected on any section of National Highway/permanent bridge/temporary bridge on National Highway shall put up by such person in a conspicuous place near a fee collection booth legibly written or printed in English, Hindi and the regional language of the area in which the National Highway is situated.

5. Incharge of fee collection.—(1) The person authorised to collect and retain the fee under these rules shall nominate an official as incharge of fee collection who shall be responsible to ensure that fees are collected at not more than the agreed rates, and the fee collection is smooth without causing undue hardship to the road users and all other matters connected with the fee collection on section of National Highway/permanent bridge/temporary bridge.

(2) The name, address and telephone number, if any, of the incharge of fee collection shall be displayed at suitable and conspicuous locations.

6. Verification of fee collection.—(1) It shall be the responsibility of the person referred to in sub-rule (1) of rule 3 to strictly ensure that all fees leviable are levied, fully collected and correctly maintained. The person shall submit certified and audited copies of the statements of fee collection at specified intervals as required under the notification for fee collection under sub-rule (2) of rule 3. The auditor shall be appointed by the Government.

(2) Central Government shall have the right to check the fee collection at any or all times through their designated officers.

7. Person to have rights to regulate traffic.— The person referred to in sub-rule (1) of rule 3 shall have powers to regulate and control the traffic, on such section of National Highway/permanent bridge/temporary bridge on National Highway relating to which he is authorised to collect fees under these rules, in accordance with the provisions contained in Chapter VIII of the Motor Vehicles Act, 1988 for proper management thereof.

[F. No. RW/NH-11012/1/95-DO-I]

A.D. NARAIN, Director General
(Road Development) & Addl. Secy.